

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

योगेश स्वामी बनाम प्रेमरतन आदि

286

किस्म मुकदमा : 88, 188 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
08.04.2024	यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादी रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक : 03/05/2024 को पेश हो।	
35/24	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की रजिस्टर सम्मन पेश विधि प्रतिवादी उपस्थित नहीं आया। इतना ही कार्यवाही हेतु दिनांक 10/11/24 को पेश हो।	
187/24	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सूख्या की ओर से रविन्द्र गोदारुण्ड उपस्थित उपस्थित नहीं आया। इतना ही कार्यवाही हेतु दिनांक 23/9/24 को पेश हो।	जि.र.न.री रजि. सुपरी वकील
189/24	वकील वादी के निवेदन पर अधिवक्ता पेश हुई वकील वादी। वादी के निवेदन विभा की हम पक्षवारण का आपस में राजीनामा हो गया है। इसलिमें प्रथमनिवेदन को चलाया जाहते खारिज कर मावे वादी रकम के दाय उपवाकाउ वी पलाके के कारण खारिज विभा का पत्रावली दारिपु फरर हो।	विभा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर